*छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*
*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*शिकायत प्रकरण क्रमांक 698/2008*

1. श्रीमती चेतना सुराना, – *शिकायतकर्ता*
ब्व सुराना स्टील्स दादाबाड़ी,
एम0जी0 रोड़, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *अनावेदक*
पुलिस मुख्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

*//आदेश//*
*(दिनांक 02 जून, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्रीमती चेतना सुराना द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.05.2009 एवं 08.07.2008 को जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदनों पर अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह बताया गया कि उनके द्वारा आवेदन थाना प्रभारी, गोल बाजार थाना, रायपुर को हस्तांतरित कर दिया गया था, अतः अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी, गोल बाजार थाना, रायपुर को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 16.03.2009 को प्रस्तुत किया गया। अंतिम सुनवाई दिनांक को शिकायतकर्ता अनुपस्थित रही थी, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अनावेदक को सुना गई। प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र के उत्तर में यह बताया गया कि मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् संबंधित प्रकरण में खारजी स्वीकृत की गई थी और न्यायालय में होने के कारण ही दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका था तथा बाद में दिनांक 06.02.2009 को आवेदिका श्रीमती चेतना सुराना के देवर श्री राजेन्द्र सुराना को डायरी उपलब्ध कराया जाकर चाहे गये अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में जन सूचना अधिकारी का कोई दोष नहीं था, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। साथ ही चूंकि जानकारी दी जा चुकी है और शिकायतकर्ता की ओर से भी अपने पक्ष समर्थन में कोई बात नहीं कहीं गई है तथा अंतिम सुनवाई दिनांक को अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। अतः अब इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है।

3/ अतः उक्त शिकायत प्रकरण अब समाप्त किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com